सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023 / 199 दर्ज तिथिः—30.06.2023

1. अनीता पुत्री भूराराम
2. संगीता पुत्री भूराराम
3. हिना पुत्री भूराराम
4. राधा पुत्री भूराराम
5. रेखा पुत्री भूराराम
6. उषा पुत्री भूराराम नाबालिग जरीये वली माता दरिया देवी पत्नी भूराराम
   जाति हरिजन निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
7. जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र भूराराम फौत के कायम मुकाम
   7/1 लीला पत्नी जीतू उर्फ जितेन्द्र
8. प्रदीप कुमार पुत्र भूराराम
   जाति हरिजन निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

............................वादी

बनाम

1. भूराराम पुत्र मिसराराम
   जाति हरिजन निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. फूसाराम पुत्र धनाराम
   जाति मेगवाल निवासी बाण्ड तहसील नोखड़ा
3. मिसाराम पुत्र राणाराम
   जाति मेगवाल निवासी साई तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
4. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी जिला बाड़मेर।

..........................प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 40, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—27.12.2024

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः—
   - कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के हिन्दू होने के कारण हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का पारिवारिक सजरा व वंशावली मुताबिक वादीगण निम्न प्रकार हैः—

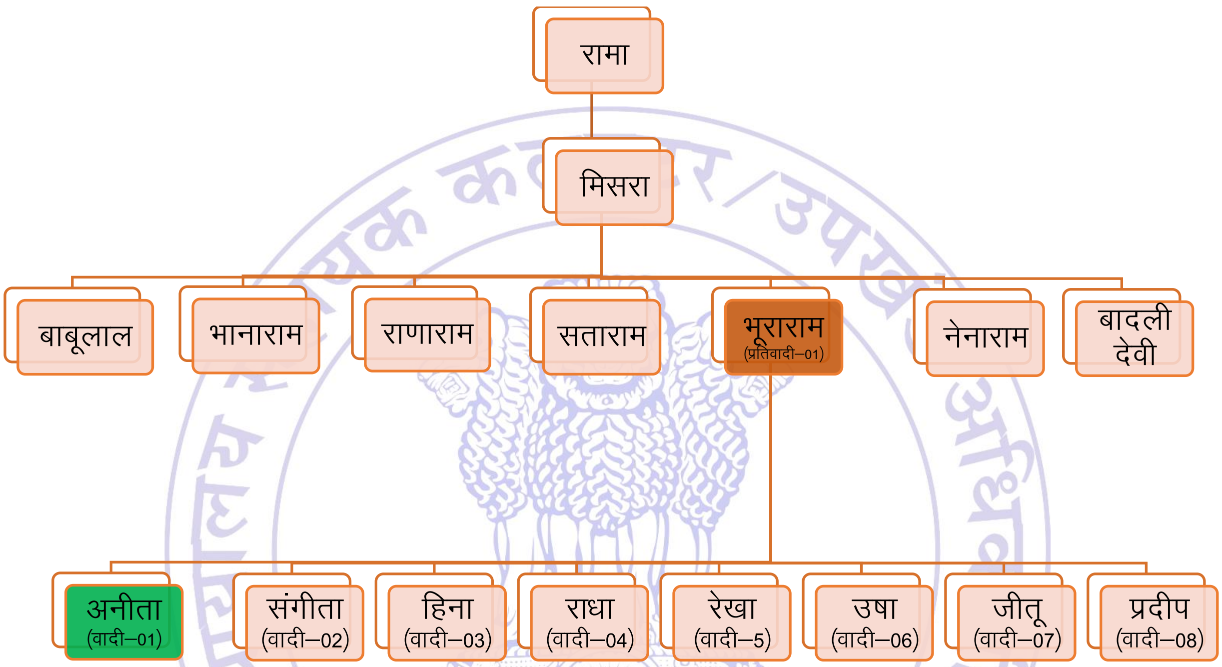

   - कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 597 / 9 / 0.8094 है0, 597 / 49 / 0.0809 है0 मौजा मालियों की ढाणी पटवार मण्डल नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी वादीगण के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 01 के पिता मिसराराम पुत्र रामाराम की खातेदारी आराजी थी।
   - कि खातेदार मिसराराम के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उत्तराधिकार में विरासत कानूनी वारिशान बाबुलाल पुत्र मिसराराम, भानाराम पुत्र मिसराराम, राणाराम पुत्र मिसराराम, सताराम पुत्र मिसराराम, भूराराम पुत्र मिसराराम, नेनाराम पुत्र मिसराराम, बादली देवी पत्नी मिसराराम के हिस्से खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त खातेदारी आराजी पैतृक व सहदायक आराजी है।
   - कि उक्त खातेदारी आराजी पैतृक व सहदायक आराजी होने के कारण वादीगण का उक्त आराजी में हिन्दू विधि के अनुसार जन्म से ही हक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार निहित हो गया है। इस प्रकार वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण उक्त पैतृक आराजी में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा निहित रखते हैं। इसी अनुसार वादीगण वर्तमान में उक्त आराजी पर मौके पर काबिज काश्त है।

- कि उक्त आराजी का मूल खसरा संख्या 597 रकबा 60–03 बीघा वादीगण के पूर्वज मिसरा पुत्र रामा के नाम खातेदारी में दर्ज था। वादीगण के पूर्वज मिसरा पुत्र रामा के निर्वसयती मृत्यु होने पर उक्त खातेदारी आराजी उत्तराधिकार में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 भूराराम वल्द मिसराराम व अन्य वारिशों को नामांतकरण संख्या 1338/2008 द्वारा विरासत में दर्ज होकर प्राप्त हुई।
- तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त आराजी का अपने अकेले के नाम होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि का जरिये पंजीकृत बयनामा बेचान दिनांक 19.07.2010 को अपना संपूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 को बिना विधिक आवश्यकता व बिना परिवार की जरूरत के बेचान कर दिया। उक्त बेचान का नामांतकरण संख्या 1384/2010 दर्ज किया गया। उसी समय समस्त सहखातेदारों द्वारा आपसी विभाजन किये जाने से नामांतकरण संख्या 1388/2010 द्वारा मूल खसरा से नये खसरा संख्या 597/9 रकबा 5–17 बीघा व 593/13 रकबा 1–10 बीघा कायम किये गये।
- तत्पश्चात दिनांक 14.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा खसरा संख्या 597/9 रकबा 05 बीघा का जरिये पंजीकृत बयनामा बेचान प्रतिवादी संख्या 03 को कर दिया। उक्त बेचान का नामांतकरण संख्या 136/2020 दर्ज किया गया।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हिस्से से अधिक वादीगण के हिस्से वाली आराजी का बिना विधिक आवश्यकता व बिना परिवार की जरूरत के बेचान करने से उक्त खसरे में वादीगण के हिस्से 1/9–1/9 नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं।
- अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर खसरा संख्या 597/9/0.8094 है0, 597/49/0.0809 है0 भूमि का बेचान वादीनीगण के हिस्से तक शून्य घोषित करने के साथ वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी का दावा स्वीकार करते हुए इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 02 ने वादी के दावा का खंडन करते हुए जवाबदावा पेश कर प्रकार निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 03 ने वादी के दावा का खंडन करते हुए जवाबदावा पेश कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ने दुर्भिसंधि करते हुए प्रतिवादी संख्या 03 के हितों पर गलत रूप से दावा प्रस्तुत किया है।
- कि वादीगण के प्रतिवादी संख्या 01 के उत्तराधिकारी होने के संबंध उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्धारण सिविल न्यायालय ही निर्धारण कर सकता है। इस प्रकार वादी का दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण काबिल–ए–खारिज है।
- कि प्रतिवादी संख्या द्वारा अपनी पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति हेतु उक्त आराजी का दिनांक 19.07.2010 को बेचान किया गया। उक्त दिनांक 19.07.2010 के बेचान का वादीगण को पूर्ण संज्ञान था तथा वादीगण संख्या 01 लगायत 04 की शादी उक्त बेचान से प्राप्त राशि से की गई। अतः प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त दिनांक 19.07.2010 के बेचान विधिक आवश्यकता के लिए किया गया है। इस प्रकार उक्त बेचान का वादीगण को पूर्ण संज्ञान होने व वादीगण संख्या 01 लगायत 04 की शादी उक्त दिनांक 19.07.2010 के बेचान से प्राप्त राशि से किये जाने के कारण उक्त बेचान के करीब 14 वर्ष बाद वादीगण उक्त आराजी में अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है।
- कि उक्त दिनांक 14.01.2020 के बेचान के समय से प्रतिवादी का स्वामित्व की हैसियत से उक्त आराजी पर आधिपत्य व कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार वादीगण का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। विधि के सुस्पष्ट प्रावधानों के अनुसार बिना कब्जा कोई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस स्थिति में वादीगण का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने की दिशा में वादीगण किसी प्रकार की प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
- कि पंजीकृत बेचानपत्र दिनांक 19.07.2010 व दिनांक 14.01.2020 के अस्तित्व में रहते हुए प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। विधि का सुमान्य सिद्धांत है कि पंजीकृत बेचानपत्र के अस्तित्व में रहते हुए अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। अतः वादीगण उक्त पंजीकृत बेचान को शून्य घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। साथ ही पंजीकृत बेचान को शून्य घोषित का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है।
- कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्रियां हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 में दिनांक 09.09.2005 को किये गये संशोधन की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि सितम्बर 2005 से पूर्व के विभाजित व न्यस्त भूमियों की स्थिति में उक्त संशोधन से प्रदत्त किये गये अधिकार लागू नहीं होंगे। अतः उक्त आराजी में पुत्रियों वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।
- अतः वादीगण का दावा विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल–ए–खारिज है

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

1. *आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिस होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।*

   ....वादीगण

2. *आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिस होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को किये गये बेचान के पंजीकृत दस्तावेज को वादीगण के हक हिस्से तक आरम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने का अधिकारी है।*

   ....वादीगण

3. *आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिस होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताविक वाद पत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।*

   ....वादीगण

4. *आया दावा वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिस नहीं होने के आधार पर खातेदारी अधिकार का अनुतोष पोषणीय नहीं होने तथा आराजी पर प्रतिवादी का सालिम कब्जा होने के फलस्वरूप स्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं बनने के कारण काबिल—ए—खारिज है।*

   ....प्रतिवादीगण

5. *अन्य दादरसी*

   ....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 100 संवत 2072—75	प्रदर्श—01
जमाबंदी	खाता संख्या 81 संवत 2072—75	प्रदर्श—02
नक्शा	खसरा संख्या 597 / 9	प्रदर्श—.3
नक्शा	खसरा संख्या 597 / 49	प्रदर्श—04
जमाबंदी	खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012—2031	प्रदर्श—05
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 1283 दिनांक 28.06.2007 ग्राम नगर	प्रदर्श—06

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 1259 दिनांक 16.06.2009 ग्राम नगर	प्रदर्श–07
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 1338 दिनांक 20.10.2008 ग्राम नगर	प्रदर्श–08
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 1384 दिनांक 05.08.2010 ग्राम नगर	प्रदर्श–09
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 1388 दिनांक 16.08.2010 ग्राम नगर	प्रदर्श–10
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 136 दिनांक 20.08.2020 ग्राम नगर	प्रदर्श–11

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
अनिता पुत्री भूराराम पत्नी किशनलाल	हरिजन	करवाडा तहसील रानीवाडा जिला सांचौर	पी0डब्ल्यू–1
राधा पुत्री भूराराम पत्नी वागाराम	हरिजन	करवाडा तहसील रानीवाडा जिला सांचौर	पी0डब्ल्यू–2
छोगाराम पुत्र खानाराम	मेगवाल	मालियों की ढाणी, नगर, गुड़ामालानी	पी0डब्ल्यू–3
बाबुराम पुत्र देवाराम	देवासी	धांधलावास, नगर गुड़ामालानी	पी0डब्ल्यू–4
राणसिंह पुत्र बदरसिंह	रावणा राजपूत	मालियों की ढाणी, नगर तहसील गुड़ामालानी	पी0डब्ल्यू–5

6. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा फलस्वरूप कोई प्रदर्श अंकित नहीं करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
मिसराराम पुत्र राणाराम	मेघवाल	साई, शेरगढ जिला जोधपुर हाल निवासी मालियों की ढाणी, नगर गुड़ामालानी	डी0 डब्ल्यू–1
श्रीधर शर्मा पुत्र देवकिशन शर्मा	ब्राह्मण	गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी	डी0 डब्ल्यू–2
फूसाराम पुत्र धनाराम	मेगवाल	बाण्ड तहसील नोखड़ा	डी0 डब्ल्यू–3
लाखाराम पुत्र मानाराम	जाट	कुड़ा, तहसील गुड़ामालानी	डी0 डब्ल्यू–4

7. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी के किये गये बेचान को वादीगण के हिस्से तक शून्य घोषित करने के साथ वादीगण को 8/9 खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैः–

1. 2023 [21 RRT -850 Bord of revenue manmal vs Ashoke & ors.
2. 2023 [II RRT -648 Bord of revenue for rajsthan ajmer Gyarsilal vs ganga bai &ors.
3. 2022 [21 RRT -1377 supreme court Kesar bhai vs gendalal & anr.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

4. 2018 Ill RRT -642 rajashan High court Hasti cement pvt. Ltd. & anr. Vs sandeep charan & ors.
5. 2018 [Il RRT -534 rajashan High court Jaipur bench Vijay shingh & anr. Vs Buddha & ors.
6. 2016 [31 DNJ -1199 rajashan High court Rampal Vs Sub Divisional officer sujangarh & ors.
7. 2014 [21 RRT -965 Bord of Revenue rajashan Ajmer shayam vs Jagwati & ors.

8. प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए प्रतिवादी के जबाब को ही बहस मानते हुए वादी का दावा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

9. मैनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम प्रथम तनकी के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार है:—

1. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिस होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

..................................वादीगण

10. प्रथम तनकी को साबित करने का भार वादी के उपर है। उक्त तनकी के संबंध में वादी का कथन है कि खातेदार मिसराराम की विरासत अनुसार बाबुलाल पुत्र मिसराराम, भानाराम पुत्र मिसराराम, राणाराम पुत्र मिसराराम, सताराम पुत्र मिसराराम, भूराराम पुत्र मिसराराम, नेनाराम पुत्र मिसराराम, बादली देवी पत्नी मिसराराम के हिस्से खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त खातेदारी आराजी पैतृक व सहदायक आराजी है। उक्त खातेदारी आराजी पैतृक व सहदायक आराजी होने के कारण वादीगण का उक्त आराजी में हिन्दू विधि के अनुसार जन्म से ही हक व अधिकार निहित हो गया है। इस प्रकार वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत हिन्दू होने के कारण उक्त पैतृक आराजी में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा निहित रखते हैं। इसी अनुसार वादीगण वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त है। इस संबंध में वादी द्वारा परिवार की वंशावली प्रस्तुत की गई है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाह पी0डब्ल्यू—1, पी0डब्ल्यू—2, पी0डब्ल्यू—3, पी0डब्ल्यू—4, पी0डब्ल्यू—5 ने वादी के प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस होने का कथन प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इसके खंडन में प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब में केवल इतना अभिकथन किया है कि विधिक वारिश निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। प्रतिवादी द्वारा इसके संबंध में कोई साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही अपने जबाब के अभिवचनों में वादी के प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र व पुत्री होने के संबंध में स्वीकार्यता प्रदान की है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र व पुत्री होकर विधिक वारिश हैं। इस बिन्दु को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य विवाद नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

11. इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में दिनांक 09.09. 2005 द्वारा किये गये संशोधन के पश्चात संशोधित धारा–06 के तहत पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार मानते हुए पिता की पैतृक आराजी में पुत्रों के साथ समान रूप से सहदायक माना गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *Vineeta Sharma vs Rakesh Sharma* में दिनांक 11.08.2020 को दिये गये निर्णय में संशोधित धारा–06 के तहत पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार मानते हुए पिता की पैतृक आराजी में सहदायक मानने के संबंध में न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उल्लेखनीय है कि पैतृक आराजी में सहदायक जन्म से ही अधिकार निहित होने के कारण पिता के समान अधिकार रखते हैं। सहदायक अपने अधिकारों को पिता के जीवित रहते विभाजन के तहत पृथक करवाने के अधिकारी होते हैं। हस्तगत प्रकरण में मुतनाजा आराजी भूराराम वल्द मिसराराम की पैतृक आराजी है। उक्त आराजी को पैतृक व सहदायक संपत्ति मानने को लेकर भी उभयपक्षकारान के मध्य विवाद नहीं है। जिसमें वादीगण सहदायक होने के कारण पिता के समान अधिकार रखते हैं। इस आधार पर वादीगण उक्त आराजी में जन्म से प्रत्येक वादी/सहदायक के 1/9 हिस्से का अधिकारी है। अतः इस आधार पर वादीगण उक्त आराजी में जन्म से प्रत्येक वादी/सहदायक के 1/9 हिस्से की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी कानूनन एवं साक्ष्य द्वारा प्रथम तनकी को साबित करने में सफल रहा है। प्रतिवादी वादी के खंडन करने में स्पष्ट रूप से असफल रहा है। इस कारण प्रथम तनकी वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

निष्कर्षः– इस प्रकार वादी को मुतनाजा आराजी में भूराराम वल्द मिसराराम की पैतृक आराजी में सहदायक होने के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत जन्म से ही अधिकार निहित होने के कारण प्रत्येक वादी 1/9 हिस्से की खातेदारी अधिकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी किया जाता है।

12. इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा *2014 [21 RRT -965 Bord of Revenue rajashan Ajmer shayam vs Jagwati & ors.* न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पिता की पैतृक आराजी में पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार मानते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के तहत पुत्रों के समान हक व अधिकार होने का न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण के पिता भूराराम द्वारा पैतृक व सहदायक संपत्ति में वादीगण के अधिकारों की घोषणा की गई है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत व हस्तगत प्रकरण के तथ्य व प्रकरण समान होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा होता है तथा हाजा न्यायालय के हस्तगत प्रकरण में निष्कर्ष को कानूनी आधार प्रदान करता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

13. इस संबंध में प्रथम तनकी के वादी के पक्ष में स्वीकार होने पर द्वितीय तनकी के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में द्वितीय तनकी निम्न प्रकार है:–

> 2. *आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिस होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को किये गये बेचान के पंजीकृत दस्तावेज को वादीगण के हक हिस्से तक आरम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने का अधिकारी है।*
>
> ....*वादीगण*

14. द्वितीय तनकी को साबित करने का भार वादी के उपर है। उक्त तनकी के संबंध में वादी का कथन है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में दिनांक 09.09.2005 द्वारा किये गये संशोधन के पश्चात संशोधित धारा–06 के तहत पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार मानते हुए पिता की पैतृक आराजी में सहदायक माना गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *Vineeta Sharma vs Rakesh Sharma* में दिनांक 11.08.2020 को दिये गये निर्णय में संशोधित धारा–06 के तहत पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार मानते हुए पिता की पैतृक आराजी में सहदायक मानने के संबंध में न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उल्लेखनीय है कि पैतृक आराजी में सहदायक जन्म से ही अधिकार निहित होने के कारण पिता के समान अधिकार रखते हैं। सहदायक अपने अधिकारों को पिता के जीवित रहते विभाजन के तहत पृथक करवाने के अधिकारी होते हैं।

15. इस प्रकार स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में मुतनाजा आराजी भूराराम वल्द मिसराराम की पैतृक आराजी है। जिसमें वादीगण सहदायक होने के कारण पिता के समान अधिकार रखते हैं। इस आधार पर वादीगण उक्त आराजी में जन्म से प्रत्येक वादी / सहदायक के 1 / 9 हिस्से का अधिकारी है। अतः इस आधार पर वादीगण उक्त आराजी में जन्म से प्रत्येक वादी / सहदायक के 1 / 9 हिस्से की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पंजीकृत बेचानपत्र दिनांक 19.07.2010 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को उक्त आराजी में अपना व वादीगण का हिस्सा शामिल करते हुए सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया। उक्त बेचान को वादीगण द्वारा बिना विधिक आवश्यकता के किया गया बेचान अभिकथित किया है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाह पी0डब्ल्यू–1, पी0डब्ल्यू–2, पी0डब्ल्यू–3, पी0डब्ल्यू–4, पी0डब्ल्यू–5 के साक्ष्य के माध्यम से उक्त कथन को प्रमाणित करने का प्रयास किया है।

16. इस संबंध में प्रतिवादी इस संबंध में कोई दस्तावेजी व गवाह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों के प्रतिपरीक्षण में भी उक्त वादीगण के कथम का खंडन करने में प्रतिवादीगण असफल रहे हैं। यहां तक की प्रतिवादी द्वारा उक्त पंजीकृत बेचान के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति तक साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रतिवादी अपना खंडन करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। प्रतिवादीगण का केवल इस अभिकथन पर अपना प्रकरण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

आधारित किया है कि पंजीकृत बेचान को राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा पंजीकृत बेचान को राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने के कारण वादीगण का दावा काबिल–ए–खारिज है। परन्तु उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1269 / 2019 उनवान *Pyarelal vs Shubhendra Pilania (Minor)* में दिनांक 29.01.2019 को दिये गये निर्णय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 एवं धारा–256 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत आने वाले समस्त मामलों को सुनने का एकमात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों में निहित है। इस प्रकार राजस्व न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 के तहत किसी पंजीकृत दस्तावेज के आरंभ से शून्य, निष्प्रभावी होने की स्थिति में ऐसे पंजीकृत दस्तावेज को आरंभ से शून्य, निष्प्रभावी घोषित करने की शक्तियां निहित हैं।

17. प्रकरण में वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पंजीकृत बेचानपत्र दिनांक 19.07.2010 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को उक्त आराजी में अपना व वादीगण का हिस्सा शामिल करते हुए सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया। उक्त बेचान को वादीगण द्वारा बिना विधिक आवश्यकता के किया गया बेचान अभिकथित किया है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाह पी0डब्ल्यू–1, पी0डब्ल्यू–2, पी0डब्ल्यू–3, पी0डब्ल्यू–4, पी0डब्ल्यू–5 के साक्ष्य के माध्यम से उक्त कथन को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इस संबंध में प्रतिवादी इस संबंध में कोई दस्तावेजी व गवाह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार वादी कानूनन एवं साक्ष्य द्वारा प्रथम तनकी को साबित करने में सफल रहा है। प्रतिवादी वादी के खंडन करने में स्पष्ट रूप से असफल रहा है। इस कारण द्वितीय तनकी वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

निष्कर्षः– प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 19.07.2010 को किये गये पंजीकृत बयनामे में उक्त पैतृक आराजी में अपने 1/9 हिस्से से अधिक आराजी के अंतरण हेतु अधिकृत नहीं होने के कारण उक्त बयनामा प्रतिवादी संख्या 01 के उक्त आराजी में 1/9 हिस्से के अंतरण को वैद्य मानते हुए उक्त हिस्से से अधिक आराजी के किये गये अंतरण को आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित करता है। इसी प्रकार बयनामा दिनांक 14.01.2020 पर भी बयनामा दिनांक 19.07.2010 तक उक्त अंतरण को आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित किये जाने के कारण परिणामस्वरूप उक्त अंतरण को आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित करता है।

18. इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा *2023 [21 RRT -850 Bord of revenue manmal vs Ashoke & ors.* न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पिता द्वारा भूमि में संपूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया। उक्त बेचान को विचारण न्यायालय व प्रथम अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी मानते हुए पिता द्वारा अपने हक व अधिकार से अधिक का बेचान मानते हुए पंजीकृत बयनामा का आरम्भ से शून्य व निष्प्रभावी माना। उक्त प्रकरण में द्वितीय अपील में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपील खारिज करते हुए विचारण न्यायालय व प्रथम अपील न्यायालय द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी मानते हुए पिता द्वारा अपने हक व अधिकार से अधिक का बेचान मानते हुए पंजीकृत बयनामा का आरम्भ से शून्य व निष्प्रभावी किये जाने के निर्णय को उचित न्यायसंगत ठहराते हुए अपील खारिज की गई। खातेदार की मृत्यु होने पर विरासत को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हस्तगत प्रकरण में वादीगण के पिता भूराराम द्वारा पैतृक व सहदायक संपत्ति में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किया गया है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत व हस्तगत प्रकरण के तथ्य व प्रकरण समान होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा होता है तथा हाजा न्यायालय के हस्तगत प्रकरण में निष्कर्ष को कानूनी आधार प्रदान करता है।

19. इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा *2022 [21 RRT -1377 supreme court Kesar bhai vs gendalal & anr.* न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा का अनुतोष तथा विपरीत कब्जे के आधार पर घोषणा का अनुतोष एक ही दावे में अभिकथित करने को विरोधाभाषी मानने का न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत व हस्तगत प्रकरण के तथ्य व प्रकरण विपरीत होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा नहीं होता है।

20. इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा *2018 Ill RRT -642 rajashan High court Hasti cement pvt. Ltd. & anr. Vs sandeep charan & ors.* न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 एवं धारा–256 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत आने वाले समस्त मामलों को सुनने का एकमात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों में निहित है। इस प्रकार राजस्व न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 के तहत किसी पंजीकृत दस्तावेज के आरंभ से शून्य, निष्प्रभावी होने की स्थिति में ऐसे पंजीकृत दस्तावेज को आरंभ से शून्य, निष्प्रभावी घोषित करने की शक्तियां निहित हैं। हस्तगत प्रकरण में वादीगण के पिता भूराराम द्वारा पैतृक व सहदायक संपत्ति में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किया गया है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत व हस्तगत प्रकरण के तथ्य व प्रकरण समान होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा होता है तथा हाजा न्यायालय के हस्तगत प्रकरण में निष्कर्ष को कानूनी आधार प्रदान करता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

21. इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा *2018 [Il RRT -534 rajashan High court Jaipur bench Vijay shingh & anr. Vs Buddha & ors.* न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 एवं धारा–256 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत आने वाले समस्त मामलों को सुनने का एकमात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों में निहित है। इस प्रकार राजस्व न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 के तहत किसी पंजीकृत दस्तावेज के आरंभ से शून्य, निष्प्रभावी होने की स्थिति में ऐसे पंजीकृत दस्तावेज को आरंभ से शून्य, निष्प्रभावी घोषित करने की शक्तियां निहित हैं। हस्तगत प्रकरण में वादीगण के पिता भूराराम द्वारा पैतृक व सहदायक संपत्ति में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किया गया है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत व हस्तगत प्रकरण के तथ्य व प्रकरण समान होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा होता है तथा हाजा न्यायालय के हस्तगत प्रकरण में निष्कर्ष को कानूनी आधार प्रदान करता है।

22. इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा *2016 [31 DNJ -1199 rajashan High court Rampal Vs Sub Divisional officer sujangarh & ors.* न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 एवं धारा–256 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत आने वाले समस्त मामलों को सुनने का एकमात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों में निहित है। इस प्रकार राजस्व न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 के तहत किसी पंजीकृत दस्तावेज के आरंभ से शून्य, निष्प्रभावी होने की स्थिति में ऐसे पंजीकृत दस्तावेज को आरंभ से शून्य, निष्प्रभावी घोषित करने की शक्तियां निहित हैं। न्यायलय द्वारा घोषणा के किसी दावे में पंजीकृत विक्रय पत्र को अवैध शून्य घोषित करवाने के अनुतोष को घोषणा के मुख्य अनुतोष के साथ अनुषांगिक अनुतोष मानते हुए राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत माना है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण के पिता भूराराम द्वारा पैतृक व सहदायक संपत्ति में वादीगण के अधिकारों को घोषित करते हुए पंजीकृत विक्रय पत्र को अवैध शून्य घोषित करवाने के अनुतोष को घोषणा के मुख्य अनुतोष के साथ अनुषांगिक अनुतोष का निवेदन किया है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत व हस्तगत प्रकरण के तथ्य व प्रकरण समान होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा होता है तथा हाजा न्यायालय के हस्तगत प्रकरण में निष्कर्ष को कानूनी आधार प्रदान करता है।

23. इस संबंध में प्रथम व द्वितीय तनकी के वादी के पक्ष में स्वीकार होने पर तृतीय तनकी के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तृतीय तनकी निम्न प्रकार हैः–

3. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिस होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताविक वाद पत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

..................................वादीगण

24. तृतीय तनकी को साबित करने का भार वादी के उपर है। उक्त तनकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 से संबंधित है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

25. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण मौके पर कब्जे काश्त हैं। इस अभिकथन को वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाह पी0डब्ल्यू–1, पी0डब्ल्यू–2, पी0डब्ल्यू–3, पी0डब्ल्यू–4, पी0डब्ल्यू–5 के साक्ष्य के माध्यम से उक्त कथन को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इस संबंध में प्रतिवादी इस संबंध में कोई दस्तावेजी व गवाह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों के प्रतिपरीक्षण में भी उक्त वादीगण के कथम का खंडन करने में प्रतिवादीगण असफल रहे हैं। विधि का सुमान्य सिद्धांत है कि किसी आराजी पर वैद्य हकदार का ही कब्जा मानने की अवधारणा कानून में अपनायी जाती है। इस आधार पर वादीगण का उक्त आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

में हक निहित होने के कारण मौके पर वादीगण का कब्जा मानने की अवधारणा प्रबलता रखती है। इस प्रकार वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जे पर यदि प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जे पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जे पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जे पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जे पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जे पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

		उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जे पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जे पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जे पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

26. इस प्रकार वादी कानूनन एवं साक्ष्य द्वारा प्रथम तनकी को साबित करने में सफल रहा है। प्रतिवादी वादी के खंडन करने में स्पष्ट रूप से असफल रहा है। इस कारण तृतीय तनकी वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

निष्कर्षः— ***वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जेयुक्त खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करता है।***

27. इस संबंध में प्रथम, द्वितीय व तृतीय तनकी के वादी के पक्ष में स्वीकार होने पर चतुर्थ तनकी के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में चतुर्थ तनकी निम्न प्रकार हैः—

4. आया दावा वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिस नहीं होने के आधार पर खातेदारी अधिकार का अनुतोष पोषणीय नहीं होने तथा आराजी पर प्रतिवादी का सालिम कब्जा होने के फलस्वरूप स्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं बनने के कारण काबिल—ए—खारिज है।

..................................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

28. चतुर्थ तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी के उपर है। इस संबंध में प्रथम, द्वितीय व तृतीय तनकी के वादी के पक्ष में स्वीकार होने पर चतुर्थ तनकी के संबंध में विश्लेषण किया जाना प्रासांगिक नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी कानूनन एवं साक्ष्य द्वारा चतुर्थ तनकी को साबित करने में असफल रहा है। प्रतिवादी वादी के खंडन करने में स्पष्ट रूप से असफल रहा है। इस कारण प्रथम, द्वितीय व तृतीय तनकी के वादी के पक्ष में स्वीकार होने पर चतुर्थ तनकी वादी के विरूद्ध स्वीकार की जाती है।

निष्कर्षः— प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।

29. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के वारिश होने के कारण भूराराम वल्द मिसराराम की पैतृक आराजी में सहदायक होने के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत जन्म से ही अधिकार निहित होने के कारण प्रत्येक वादी 1/9 हिस्से की खातेदारी अधिकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 19.07.2010 को किये गये पंजीकृत बयनामे में उक्त पैतृक आराजी में अपने 1/9 हिस्से से अधिक आराजी के अंतरण हेतु अधिकृत नहीं होने के कारण उक्त बयनामा प्रतिवादी संख्या 01 के उक्त आराजी में 1/9 हिस्से के अंतरण को वैद्य मानते हुए उक्त हिस्से से अधिक आराजी के किये गये अंतरण को आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित किया जाना उचित पाता है। इसी प्रकार बयनामा दिनांक 14.01.2020 पर भी बयनामा दिनांक 19.07.2010 तक उक्त अंतरण को आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित किये जाने के कारण परिणामस्वरूप उक्त अंतरण को आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित जाना उचित पाता है। इसी प्रकार वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जेयुक्त खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार करना उचित पाता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 19.07.2010 को किये गये पंजीकृत बयनामे में उक्त पैतृक आराजी में अपने 1/9 हिस्से से अधिक आराजी के अंतरण हेतु अधिकृत नहीं होने के कारण उक्त बयनामा प्रतिवादी संख्या 01 के उक्त आराजी में 1/9 हिस्से के अंतरण को वैद्य मानते हुए अपने 1/9 हिस्से से अधिक आराजी के किये गये अंतरण को आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित करता है। इसी प्रकार पंजीकृत बयनामा दिनांक 19.07.2010 को उक्तानुसार आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित किये जाने के कारण प्रभावित हिस्से व आराजी की हद तक पश्चातवर्ती

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

बयनामा दिनांक 14.01.2020 को आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित करता है। साथ ही वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 597/9/0.8094 है0, 597/49/0.0809 है0 मौजा मालियों की ढाणी पटवार मण्डल नगर तहसील गुड़ामालानी की पैतृक आराजी में सहदायक होने के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत जन्म से ही अधिकार निहित होने के कारण पिता भूराराम वल्द मिसराराम का हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्से से पृथक रखते हुए शेष आराजी पर प्रत्येक वादीगण का 1/9–1/9 हिस्से की खातेदारी अधिकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी किया जाता है। साथ ही वादी को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। साथ ही उक्त आराजी में घोषणा पश्चात वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जेयुक्त खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 27.12.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023 / 199 दर्ज तिथिः–30.06.2023

1. अनीता पुत्री भूराराम
2. संगीता पुत्री भूराराम
3. हिना पुत्री भूराराम
4. राधा पुत्री भूराराम
5. रेखा पुत्री भूराराम
6. उषा पुत्री भूराराम नाबालिग जरीये वली माता दरिया देवी पत्नी भूराराम
   जाति हरिजन निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
7. जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र भूराराम फौत के कायम मुकाम
   7/1 लीला पत्नी जीतू उर्फ जितेन्द्र
8. प्रदीप कुमार पुत्र भूराराम
   जाति हरिजन निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..............................वादी

बनाम

1. भूराराम पुत्र मिसराराम
   जाति हरिजन निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. फूसाराम पुत्र धनाराम
   जाति मेगवाल निवासी बाण्ड तहसील नोखड़ा
3. मिसाराम पुत्र राणाराम
   जाति मेगवाल निवासी साई तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
4. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी जिला बाड़मेर।

...........................प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीः–श्री चिमनसिंह चौधरी
श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 40, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested

अनिता बनाम भूराराम
2023/199
निर्णय दिनांकः 27.12.2024

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 19.07.2010 को किये गये पंजीकृत बयनामे में उक्त पैतृक आराजी में अपने 1/9 हिस्से से अधिक आराजी के अंतरण हेतु अधिकृत नहीं होने के कारण उक्त बयनामा प्रतिवादी संख्या 01 के उक्त आराजी में 1/9 हिस्से के अंतरण को वैद्य मानते हुए अपने 1/9 हिस्से से अधिक आराजी के किये गये अंतरण को आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित करता है। इसी प्रकार पंजीकृत बयनामा दिनांक 19.07.2010 को उक्तानुसार आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित किये जाने के कारण प्रभावित हिस्से व आराजी की हद तक पश्चातवर्ती बयनामा दिनांक 14.01.2020 को आरम्भ से शून्य व अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित करता है। साथ ही वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 597/9/0.8094 है0, 597/49/0.0809 है0 मौजा मालियों की ढाणी पटवार मण्डल नगर तहसील गुड़ामालानी की पैतृक आराजी में सहदायक होने के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत जन्म से ही अधिकार निहित होने के कारण पिता भूराराम वल्द मिसराराम का हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्से से पृथक रखते हुए शेष आराजी पर प्रत्येक वादी 1/9 हिस्से की खातेदारी अधिकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी किया जाता है। साथ ही वादी को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। साथ ही उक्त आराजी में घोषणा पश्चात वादीगण के वैद्य अधिकार व कब्जेयुक्त खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 27.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:06:43 IST
Reason: SelfAttested